

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

श्री सत्पनारायण वनाम ~~श्री सत्पनारायण~~ राधा

किस्म मुकदमा 88-89 RTA नं 51 सन 18 श.वरी

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

12/6/18 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 18/6/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, करेड़ा

सिद्ध उमरी  
12/6/18

18/6/18 पत्रावली लोअर अदालत दिल्ली के अंतर्गत मुकाम उमरी पेश हुई। उम्मीदवार उपस्थित नहीं आये। द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य दोहराए हुए हैं। इन विषय व ह्वाम उमरी का नाम होवा उदय राम शास्त्री का पुत्र है। मेरा शुद्ध नाम सत्पनारायण है परन्तु विलोपित नाम श्री गाराम होने से उमरी स्थित रवतमि सं 367 व 283 में मुताबिक जन्मदि सं 2069 से 2072 में अशुद्ध नाम श्री गाराम दर्ज हो गया। अतः उक्त दोनो रवतमि में अशुद्ध नाम विलोपित कर शुद्ध नाम सत्पनारायण दर्ज कराया जाने की घोषणा न्यायालय से की गई।

18-06-18

सत्पनारायण उदय राम शास्त्री

51/18 नदि

नम्बर व  
अहकाम  
हुयम की  
में जा


सारी  
हुयम

न्यायालय उपसंहार अधिकारी कार्यवाही मय इनिशियलस जल  
पवेन सहायक कलक्टर  
कोटा (बीलवाडा)

इसके विपरीत राजप पक्ष नियत  
 की ओर से जवानदादा के अहला  
 निवेदन पत्र रवली संख्या में वादी  
 का अहला नाम सीताराम लोना  
 की ओर किया है। सत्य ही राजप पक्ष  
 तथा जवानदादा के अहला पक्ष  
 का अहला नाम अहला अहला  
 तदुक्त नाम के अहला अहला  
 अहला कर निवेदन किया गया है  
 कदी के अहला नाम सीताराम को  
 विलोपित कर अहला नाम सत्यनारायण  
 का अहला नाम जाना उचित ठहरा  
 गया है इसके अलावा मे वही का  
 अहला का रीति, सत्यनारायण  
 को भी उपलब्ध कराया है जिसे  
 अहला का रीति स्पष्ट है वही का  
 अहला नाम सत्यनारायण है। अतः  
 वही द्वारा अहला नाम सत्यनारायण  
 प्रतिवादी स्वीकार किए जाने के  
 अहला उद्दान किए जाते हैं।  
 "अहला"।

मौजा अहला का रीति सत्यनारायण  
 सं० 367 एवं 283 मुताबिक जमावा  
 सं० 28 9 से 2072 में सीताराम  
 के अहला सत्यनारायण राजप  
 के अहला से दर्ज किए जाने के अहला

उपसंहार अधिकारी पवेन  
 सहायक कलक्टर कोटा

तारीख हुक्म	5118 वाद न्यायालय उपखंड <sup>उपखंड</sup> हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज पदेन सहायक क्लर्क करेड़ा (भीलवाड़ा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p> <del>प्रदान किए जाते हैं। उपरोक्त</del>  <del>खतों में संख्याओं में अन्त</del>  <del>के अन्त में परिवर्तन नहीं किए जा</del>  <del>जाए। यथावत बहलू व कामसे</del>  <del>रखी जावे। पामनपि ठौर</del>  <del>वैज के लिए जाकर</del>  <del>दिडी कुर्तब लों प्रमाण</del>  <del>द्वारा सिद्ध से करेगी।</del>  <del>जाके इसमें सुमार हो।</del>  <del>निष्पत्ति से इजाजत सुनाया</del>  <del>गया।</del> </p> <p style="text-align: center;">           उपखंड अधिकारी पदेन          सहायक क्लर्क करेड़ा       </p>	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">         11/1/18       </p>

